इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शनिवार, दिनांक 12 जनवरी 2019—पौष 22, शक 1940

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 22-2/2019/आठ-मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (क्रमांक 25 सन 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा, ऐसे गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के) परिवहन यानों जो जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2018-19 की कालावधि के दौरान विक्रय किये जाएगें को संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययीन रहते हुये दी जाएगी,अर्थात:-

1. **यह छूट ऐसे यानों के लिये दी जाएगी जिन्हें ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में ऐसे आटोमोबाईल व्यवसायियों द्वारा विक्रय किया जाए जिन्होंने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आटोमोबाईल व्यवसायी, जिन्होंने राज्य में अन्य परिवहन कार्यालय से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा अन्य राज्यों के आटोमोबाईल व्यवसायी ग्वालियर व्यापार मेले में यान का विक्रय नहीं कर सकेंगे।**

2. **ग्वालियर व्यापार मेले से क्रय किये गये यानों का पंजीयन राज्य में किसी परिवहन कार्यालय से कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों के लिये यानों का अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।**
3. **ऐसे यानों के पंजीयन के लिये जो ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किये जाएं, मेला परिसर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अस्थाई कार्यालय खोला जायेगा तथा मेला परिसर में विक्रय किये गये यानों का पंजीयन इस अस्थाई कार्यालय द्वारा किया जायेगा।**

No. F-22-2/2019/VIII - In exercise of the powers conferred by section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides exemption of 50% on rate of Life time tax payable on such non-transport vehicles and Small (light) transport vehicles, which are liable to pay life time tax and are sold in the Gwalior Vyapar Mela during the period of 2018-19 year. This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions, namely:-

1. This exemption shall be given for such vehicles which are sold in the Gwalior Vyapar Mela premises by Automobile businessmen who have obtained trade certificate from the Regional Transport Office Gwalior. Automobile businessmen who have obtained Trade certificate from other transport offices in the state, and Automobile businessmen of other states shall not be able to sell vehicles in the Gwalior Vyapar Mela.

2. Registration of vehicles purchased from the Gwalior Vyapar Mela shall be mandatory in any transport office in the state. The temporary registration certificate of the vehicle shall not be issued for other states.

3. In the mela premises, temporary office of the Regional Transport Office shall be opened for the purpose of registration of such vehicles which have been sold in the Gwalior Vyapar Mela and registration of the vehicles sold from the mela premises shall be made by this temporary office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.